

बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना-01, दिनांक-

सं०सं०-1/क०रा०बी०यो०-06/2023 श्र०सं०...../श्री आलोक कुमार, विशेष सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को अपने कार्यों के अतिरिक्त अगले आदेश तक के लिए निदेशक चिकित्सा सेवायें, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, बिहार, पटना का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

3. इससे संबंधित पूर्व में निर्गत सभी आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-

(राजीव रंजन)

सरकार के संयुक्त सचिव

संख्या-1/क०रा०बी०यो०-06/2023 श्र०सं०.....52/ पटना-01, दिनांक- 27/8/25

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना (सी०डी० सहित बिहार गजट में प्रकाशनार्थ)/महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि० को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/मा० मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/श्रमायुक्त, बिहार, पटना/निदेशक, चिकित्सा सेवायें, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, बिहार, पटना/सभी क्षेत्रीय बीमा चिकित्सा पदाधिकारी/सभी बीमा चिकित्सा पदाधिकारी/अधिसूचना में नामित पदाधिकारी/मुख्यालय स्थित सभी पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर, (विभागीय वेवसाईट पर प्रकाशनार्थ) श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव